

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

भविष्य निधि कार्यालय के समीप

अरेरा हिल्स, (हिन्दुस्तान पेट्रोल पंप के पास) भोपाल

Telephone 0755-2557727, Fax-0755-2552899, E-mail adress:dirpanchayat@mp.gov.in

क्र. 14904/पं.रा/RGSA/2020

भोपाल, दिनांक 31/12/2020

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत- झाबुआ, अलीराजपुर, बडवानी, मण्डला, डिण्डोरी, अनूपपुर, धार, खरगौन, रतलाम, खण्डवा, बुरहानपुर, होशंगाबाद, बैतूल, सिवनी, छिंदवाडा, बालाघाट, सीधी, शहडोल, उमरिया एवं श्योपुर (म.प्र.)

विषय:- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) अंतर्गत पेसा गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु मोबिलाईजर्स का चयन बावत।

संदर्भ :- संचालनालय का पत्र क्रमांक 783 दिनांक 20.01.2020

--00--

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) अंतर्गत भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय से स्वीकृत कार्य योजना अनुसार पेसा (PESA) क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में विशेष सहायता मद अंतर्गत निर्धारित गतिविधियों के क्रियान्वयन एवं निष्पादन हेतु प्रदेश की पेसा क्षेत्र अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र की 5221 ग्राम पंचायतों में एक-एक ग्राम सभा पेसा मोबिलाईजर का चयन किया जाना है जिसके अनुक्रम में मोबिलाईजर्स के चयन हेतु संलग्न परिशिष्ट अनुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं उक्त निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही निर्धारित समयसीमा में करना सुनिश्चित करे एवं चयनित मोबिलाईजर्स की संबंधित जिला एवं जनपद अनुसार ग्राम पंचायतवार जानकारी प्रेषित करे।

संलग्न -

परिशिष्ट अ - ग्राम सभा मोबिलाईजर की निर्धारित चयन प्रक्रिया व मापदण्ड

परिशिष्ट ब - ग्राम सभा मोबिलाईजर के नामांकन हेतु आवेदन का प्रारूप

परिशिष्ट स - आवेदक को ग्राम पंचायत के द्वारा दी जाने वाली पावती का प्रारूप

परिशिष्ट द - ग्राम सभा मोबिलाईजर हेतु ग्राम पंचायत द्वारा नोटिस जारी करने का प्रारूप

परिशिष्ट इ - ग्राम सभा मोबिलाईजर हेतु ग्राम पंचायत द्वारा चयन/नामांकन आदेश जारी करने का प्रारूप

(बी.एस.जामोद)

संचालक

पंचायत राज संचालनालय

मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त मनरेगा परिषद भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक ग्रामीण रोजगार की ओर सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एमपीएसआरएलएम की ओर सूचनार्थ।
5. कलेक्टर जिला झाबुआ, अलीराजपुर, बडवानी, मण्डला, डिण्डौरी, अनूपपुर, धार, खरगौन, रतलाम, खण्डवा, बुरहानपुर, होशंगाबाद, बैतूल, सिवनी, छिंदवाडा, बालाघाट, सीधी, शहडोल, उमरिया एवं श्योपुर की ओर सूचनार्थ।
6. जिला कार्यक्रम प्रबंधक आजीविका मिशन जिला झाबुआ, अलीराजपुर, बडवानी, मण्डला, डिण्डौरी, अनूपपुर, धार, खरगौन, रतलाम, खण्डवा, बुरहानपुर, होशंगाबाद, बैतूल, सिवनी, छिंदवाडा, बालाघाट, सीधी, शहडोल, उमरिया एवं श्योपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी संबंधित जनपद पंचायत की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।


संचालक

पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश, भोपाल

ग्राम सभा मोबलाईजर की चयन प्रक्रिया व मापदण्ड

1. पदनाम :- ग्राम सभा मोबलाईजर

2. अर्हताएं :-

2.1 न्यूनतम/अनिवार्य अर्हताएं :-

- आवेदक हायर सैकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण होना चाहिए। यदि किसी पंचायत में 10+2 उत्तीर्ण अभ्यर्थी नहीं होने की दशा में 10वीं पास अभ्यर्थियों के द्वारा भी आवेदन किया जा सकता है।
- आवेदक ग्राम पंचायत का स्थानीय निवासी हो। इसकी पुष्टि हेतु आवेदक का नाम अथवा आवेदक के माता/पिता का नाम या आवेदक के पति का नाम संबंधित ग्राम पंचायत के मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिये जिस हेतु आवेदक को आवश्यक दस्तावेज जैसे - वोटर आईडी कार्ड आवेदन के साथ स्वप्रमाणित संलग्न करना होगा।
- आवेदक की आयु सीमा 01 जनवरी 2020 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिये। आयु सीमा में छूट शासन के नियमानुसार रहेगी।

2.2 अतिरिक्त अर्हताएं:-

- सीआरपी/प्रेरक/स्वच्छताग्राही/स्व सहायता समूह के सदस्य/प्रेरक आवेदक को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत यदि किसी परियोजना में कार्य किया हो, तो उसका अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित (काउंटर साइन्ड) किया गया होना चाहिये, और यदि किसी अन्य विभाग या या किसी शासन द्वारा मान्यता प्राप्त गैर शासकीय संस्थाओं में कार्य अनुभव हो तो संबंधित संस्था/विभाग/संगठन से जारी किया हुआ अनुभव प्रमाण पत्र के साथ साथ आवेदक को जारी किया हुआ नियुक्ति पत्र/ सेलेरी स्लिप आदि की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जानी होगी।
- कम्प्यूटर साक्षरता :- शासन से मान्यता प्राप्त/संबद्ध शैक्षणिक संस्थान से डीसीए/पीजीडीसीए अथवा समकक्ष योग्यता उत्तीर्ण की गई हो तो उसकी छायाप्रति संलग्न करे।

3. अंक निर्धारण मापदण्ड एवं प्रणाली* :-

स.क्र	योग्यता/अनुभव/ मापदण्ड	निर्धारित अंक	रिमांक
1	हायर सैकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण	अधिकतम 60% अंक (प्राप्त कुल अंको के प्रतिशत का)	<ul style="list-style-type: none"> • यदि किसी ग्राम पंचायत में 10+2 उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में 10वीं पास अभ्यर्थियों के 10वीं में प्राप्त अंको के प्रतिशत का 60% अंक प्रदाय किया जावेगा। • शैक्षणिक संस्था द्वारा प्रमाणित अंकसूची/सर्टिफिकेट प्रस्तुत/संलग्न करने पर।

2	स्नातक	10% अंक (प्राप्त कुल अंको के प्रतिशत का)	<ul style="list-style-type: none"> • किसी भी केन्द्र/राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान/महाविद्यालय /विश्वविद्यालय से किसी भी क्षेत्र/विषय में स्नातक उत्तीर्ण होने पर। • शैक्षणिक संस्था द्वारा प्रमाणित अंकसूची/सर्टिफिकेट/डिग्री प्रस्तुत/संलग्न करने पर।
3	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हेतु	10 अंक	शासन द्वारा वैध जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत/संलग्न करने पर।
4	महिला अभ्यर्थी हेतु	10 अंक	शासन द्वारा वैध कोई भी पहचान पत्र प्रस्तुत/संलग्न करने पर।
5	कम्प्यूटर साक्षरता डीसीए/पीजीडीसीए/शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर प्रशिक्षण/कोर्स का प्रमाण पत्र होने पर	10 अंक	शैक्षणिक संस्था द्वारा प्रमाणित अंकसूची/सर्टिफिकेट/डिग्री प्रस्तुत/संलग्न करने पर।
6	संबंधित कार्यक्षेत्र जैसा कि इस परिशिष्ट-अ के उक्त बिन्दु क्र. 2.2 अतिरिक्त अर्हताये में उल्लेखित है, में 2 वर्ष या उससे अधिक का कार्य अनुभव होने पर	5 अंक	अभ्यर्थी के द्वारा बिन्दु क्र. 2.1 पर उल्लेखित सत्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत/संलग्न करने पर

नोट :- *यदि किसी स्थिति में 2 से 2 से अधिक अभ्यर्थियों को समान अंक प्राप्त होते हैं तो निम्नानुसार अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदाय की जावेगी :-

- अनुसूचित जनजाति महिला >
- अनुसूचित जनजाति पुरुष >
- अनुसूचित जाति महिला >
- अनुसूचित जाति पुरुष >
- अन्य पिछडा वर्ग महिला >
- अन्य पिछडा वर्ग पुरुष >
- सामान्य वर्ग महिला >
- सामान्य वर्ग पुरुष >

इसके बाद भी यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी के समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी।

982

4. समय सारणी :-

क्र.	गतिविधियों का विवरण	कार्य दायित्व	समयसीमा
1.	ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवासरत मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से समस्त हायर सैकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण एवं निर्धारित आयु सीमा वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगे,	सचिव/ सहा. सचिव	04 जनवरी 2021
2.	सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करने हेतु लिखित में व्यक्तिगत नोटिस जारी करेगे	सचिव/ सहा. सचिव	07 जनवरी 2021
3.	आवेदक द्वारा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	आवेदक/अभ्यर्थी	18 जनवरी 2021
4.	(अ) समस्त आवेदन पत्रों एवं संलग्न दस्तावेजों का निरीक्षण कर सारणीकृत (Tabulation) करेगे। (ब) तदानुसार अभ्यर्थियों के योग्यता, वरीयता एवं अनुभव के आधार पर परिशिष्ट के बिन्दु क्र. 3 अनुसार अंको का निर्धारण करेगे एवं मेरिट के आधार पर अवरोही क्रम में अभ्यर्थियों की सूची करेगे। (स) इस बावत ग्राम पंचायत की बैठक आयोजित कर प्राप्त आवेदन पत्रों का समस्त ब्योरा रखा जावेगा एवं प्राप्त अंको के आधार पर मेरिट में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ग्राम सभा मोबलाइजर्स के रूप में चयन हेतु अनुमोदन अनुमोदन प्रदाय किया जावेगा एवं (द) प्रस्तुत मेरिट सूची अनुसार अंतरिम सूची जारी करेगे सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के साथ-साथ मेरिट लिस्ट में अवरोही क्रम अगले 3 अभ्यर्थियों के द्वारा सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का नाम भी प्रतीक्षा सूची प्रकाशित करेगे।	सचिव/ सहा. सचिव सचिव/ सहा. सचिव पंचायत निकाय/समिति (सरपंच/प्रधान एवं सचिव की उपस्थिति में) सचिव/ सहा. सचिव	30 जनवरी 2021
5.	ग्राम पंचायत के द्वारा जारी अंतरिम सूची में दावा आपत्ति करना।	संबंधित आवेदक/अभ्यर्थी	06 फरवरी 2021 तक
6.	किसी भी प्रकार के शिकायत अथवा दावा आपत्ति का निराकरण के लिए निर्धारित स्तर एवं अंतिम तिथि:-		
	दावा आपत्ति का स्तर	निराकरण हेतु जवाबदारी	निराकरण अंतिम तिथि
	प्रथम अपील	ग्राम पंचायत	09.02.2021
	द्वितीय अपील	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	13.02.2021
	अंतिम अपील	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	16.02.2021
7	ग्राम सभा मोबलाइजर के चयन हेतु अंतिम सूची जारी करना।	सचिव/ सहा. सचिव	22.02.2021
8.	जारी अंतिम सूची के अनुसार चयनित अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की अंतिम तिथि।	चयनित अभ्यर्थी	27.02.2021 तक

// ग्राम सभा मोबिलाइजर के नामांकन हेतु आवेदन का प्रारूप //

1. आवेदित पद का नाम - "ग्राम सभा मोबिलाइजर"
2. आवेदित ग्राम पंचायत का नाम -
3. आवेदक का नाम -
4. पिता/पति का नाम-
5. क्या आवेदित ग्राम पंचायत का स्थायी निवासी हैं (पुष्टि हेतु आवेदक का नाम अथवा आवेदक के माता/पिता का नाम या आवेदक के पति का नाम संबंधित ग्राम पंचायत की विधान सभा मतदाता सूची में आवेदन प्रकाशन दिनांक की स्थिति में दर्ज होना चाहिये जिस हेतु आवेदक को आवश्यक दस्तावेज जैसे - वोटर आईडी कार्ड आवेदन के साथ स्वप्रमाणित संलग्न किया जावे) - हाँ/नहीं
6. आवेदक का स्थायी पता- (वांछित प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
7. मोबाइल नं.-
8. ई-मेल आईडी-
9. (अ) जन्म तिथि -
(ब) 01 जनवरी 2020 को आयु - दिन माह वर्ष
10. सामाजिक वर्ग- अनु. जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग (प्रमाण पत्र सहित)
11. शैक्षणिक योग्यता - (प्रमाणपत्र व अंकसूची की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

क्र.	परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड/विश्वविद्यालय	वर्ष	विषय	प्राप्तांक	प्रतिशत

12. कम्प्यूटर साक्षरता - डीसीए/पीजीडीसीए व समकक्ष योग्यता
13. ग्राम पंचायत में संबंधित कार्य क्षेत्र में प्राप्त हुए प्रशिक्षण/कार्य अनुभव/कुशलता का विस्तृत विवरण - (कार्य/संस्था से प्राप्त कार्यानुभव का प्रमाण पत्र संलग्न करें)

क्र.	CRP/प्रेरक/स्वच्छताग्रही आदि के रूप में कार्य करने का अनुभव*	कार्य का विवरण	कब से कब तक	कुल कार्य अनुभव (माह/वर्ष)	संदर्भ व्यक्ति का नाम एवं नं.

- * संबंधित कार्यक्षेत्र जैसा कि परिशिष्ट -अ के बिन्दु क्र. 2.2 अतिरिक्त अर्हताये में उल्लेखित है, में 2 वर्ष या उससे अधिक का कार्य अनुभव होने पर - 5 अंक (अभ्यर्थी के द्वारा बिन्दु क्र. 2.2 पर उल्लेखित सत्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत/संलग्न करने पर)

// आवेदक का घोषणा पत्र //

मैं एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गयी जानकारी एवं संलग्न दस्तावेज पूर्णतः सत्य हैं। जानकारी व संलग्न दस्तावेज असत्य पाये जाने पर मेरा आवेदन निरस्त कर दी जावेगी जिसकी जिम्मेदारी मेरे स्वम की होगी।

दिनांक

स्थान.....

आवेदक के नाम व हस्ताक्षर

982

// आवेदक को ग्राम पंचायत के द्वारा दी जाने वाली पावती का प्रारूप //

श्री/श्रीमति/कुमारी.....निवासी.....
.....द्वारा ग्राम पंचायतजनपद पंचायत
.....जिलाके अंतर्गत ग्राम सभा मोबिलाइजर
(अस्थायी) के नामांकन हेतु आवेदन क्र..... एवं दिनांक.....को प्राप्त किया गया
है। जिसमें निम्न दस्तावेज संलग्न हैं -

संलग्न:- (कृपया हाँ अथवा नहीं लिखें)

1. शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण-पत्र (स्वप्रमाणित) - हायर सेकेन्डरी परीक्षा (10+2)/ हाई स्कूल (10वीं)
2. आवेदक का या आवेदक के माता पिता का या आवेदक के पति का वोटर आईडी कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति
3. आवेदक का पहचान पत्र
4. जाति प्रमाणपत्र (यदि लागू हो तो)
5. विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)
6. डीसीए/पीजीडीसीए व समकक्ष
7. स्नातक
8. प्रमाणित कार्यानुभव संबंधी प्रमाण पत्र/नियुक्ति पत्र/बैंक अकाउंट में प्राप्त सैलरी/मानदेय स्लिप
9. प्राप्त संबन्धित प्रशिक्षण प्रमाण पत्र

दिनांक

स्थान.....

आवेदक के नाम व हस्ताक्षर

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर व नाम/पदनाम एवं मुद्रा

ग्राम पंचायत

प्रतिलिपि:-

1. श्री.....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु प्रेषित।

सरपंच/सचिव के हस्ताक्षर व नाम/पदनाम एवं मुद्रा

ग्राम पंचायत

// ग्राम सभा मोबिलाइजर हेतु ग्राम पंचायत द्वारा नोटिस जारी करने का प्रारूप //

पंचायत राज संघसलनालय का जापन क्रमांकदिनांकसंदर्भनुसार राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) अंतर्गत PESA अनुसूचित क्षेत्र हेतु विशेष मद अंतर्गत पाँचवी अनुसूचित क्षेत्रों में लागू PESA जिलों/जनपदों की ग्राम पंचायतों में प्रति ग्राम पंचायत एक ग्राम सभा मोबिलाइजर के नामांकन हेतु निर्धारित प्रक्रिया का संचालन किया जाना है, जिसके अनुक्रम में सामान्य जन को यह आम सूचना को प्रसारित किया जाता है कि ग्राम पंचायतजनपद पंचायत.....जिला के अंतर्गत निम्नानुसार योग्यता एवं पात्रता रखने वाले इच्छुक अभ्यर्थी से (परिशिष्ट - अ) आवेदन प्रारूप अनुसार नामांकन भरने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

ग्राम सभा मोबिलाइजर के नामांकन हेतु वांछित योग्यता एवं मापदण्ड/अहर्ताएँ :-

1. न्यूनतम/अनिवार्य अहर्ताएँ :-

- आवेदक हायर सैकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण होना चाहिए। यदि किसी पंचायत में 10+2 अभ्यर्थी नहीं होने की दशा में 10वीं पास अभ्यर्थियों के द्वारा भी आवेदन किया जा सकता है।
- आवेदक ग्राम पंचायत का स्थानीय निवासी हो। इसकी पुष्टि हेतु आवेदक का नाम अथवा आवेदक के माता/पिता का नाम या आवेदक के पति का नाम संबंधित ग्राम पंचायत के मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिये जिस हेतु आवेदक को आवश्यक दस्तावेज जैसे - वोटर आईडी कार्ड आवेदन के साथ स्वप्रमाणित संलग्न करना होगा।
- आवेदक की आयु सीमा 01 जनवरी 2020 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिये। आयु सीमा में छूट शासन के नियमानुसार रहेगी।

2. अतिरिक्त अहर्ताएँ :-

- सीआरपी/प्रेरक/स्वच्छतायाही/स्व सहायता समूह के सदस्य/प्रेरक आवेदक को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत यदि किसी परियोजना में कार्य किया हो, तो उसका अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित (काउंटर साइन्ड) किया गया होना चाहिये, और यदि किसी अन्य विभाग या या किसी शासन द्वारा मान्यता प्राप्त गैर शासकीय संस्थाओं में कार्य अनुभव हो तो संबंधित संस्था/विभाग/संगठन से जारी किया हुआ अनुभव प्रमाण पत्र के साथ साथ आवेदक को जारी किया हुआ नियुक्ति पत्र/ सेलेरी स्लिप आदि की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जानी होगी।

3. कम्प्यूटर साक्षरता :- शासन से मान्यता प्राप्त/संबद्ध शैक्षणिक संस्थान से डीसीए/पीजीडीसीए अथवा समकक्ष योग्यता उत्तीर्ण की गई हो तो उसकी छायाप्रति संलग्न करे,

नोट - आवेदक निर्धारित प्रारूप में परिशिष्ट-ब अनुसार सनस्त वांछित जानकारी/दस्तावेज सहित आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 जनवरी 2021 तक ग्राम पंचायत में कार्यालयीन समय में जमा कर सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद प्रस्तुत किए गए आवेदन या आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

दिनांक

स्थान.....

सरपंच/सचिव के हस्ताक्षर व नाम/पदनाम एवं मुद्रा
ग्राम पंचायत

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला/जनपद पंचायत _____ की ओर सूचनार्थ।
2. श्री _____ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु प्रेषित।

सरपंच/सचिव के हस्ताक्षर व नाम/पदनाम एवं मुद्रा
ग्राम पंचायत

(परिशिष्ट - ई)

// ग्राम सभा मोबिलाइजर हेतु ग्राम पंचायत द्वारा चयन/नामांकन आदेश जारी करने का प्रारूप //

कार्यालय ग्राम पंचायत.....

जनपद पंचायतजिला पंचायत

// आदेश //

पंचायत राज संचलनालय का ज्ञापन क्रमांकदिनांकके संदर्भ में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) अंतर्गत PESA अनुसूचित क्षेत्र हेतु विशेष मद अंतर्गत पाँचवी अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित PESA जिलों/जनपदों की ग्राम पंचायतों में प्रति ग्राम पंचायत एक ग्राम सभा मोबिलाइजर के पूर्णतः अस्थायी रूप से चयन/नामांकन हेतु निर्धारित मापदंड एवं प्रक्रिया का संचालन किया जाकर ग्राम पंचायत..... जनपद पंचायत..... जिला..... के अंतर्गत चयनित ग्राम सभा PESA मोबिलाइजर के तौर पर श्री..... पिता/पति..... निवास..... को आज दिनांक..... को निर्धारित जोबचार्ट एवं निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत ग्राम सभा/पंचायत समिति की बैठक दिनांक..... में अनुमोदन से चयन/नामांकन किया जाता है। यह आदेश जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो चयनित/नामांकित उम्मीदवार के कार्यभार ग्रहण दिनांक से 1 वर्ष तक मात्र प्रभावशील रहेगा तदुपरान्त यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

उपरोक्त उम्मीदवार को इस आदेश के जारी होने के पश्चात दिनांक 29.02.2021 तक इस ग्राम पंचायत के कार्यालय में कार्यालयीन समय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेगे, अन्यथा आपकी दावेदारी एक पक्षीय रूप से निरस्त करते हुए मेरिट प्रतीक्षा सूची के क्रमिक रूप से अगले अभ्यर्थी को इस हेतु अवसर दिया जावेगा, जिसकी जवाबदेही आप स्वयं की होगी।

PESA ग्राम सभा मोबिलाइजर हेतु प्रस्तावित जॉब चार्ट एवं आवश्यक शर्तें :-

1. PESA मोबिलाइजर पूर्णतः ग्राम पंचायत के सभी ग्राम सभा एवं पंचायत निकाय/समिति के नियंत्रण में कार्य निष्पादित करेंगे। यदि मोबिलाइजर का कार्य ग्राम पंचायत निकाय/ग्राम सभा को संतोषप्रद नहीं लगता तो उन्हें कारण बताओ सूचना/चेतावनी सूचना जारी किया जावेगा यदि 2 से अधिक बार ऐसी घटना परलक्षित हो तो ग्राम पंचायत/ग्राम सभा के चयन को निरस्त करने का अधिकारी होगा। जिसके बाद मेरिट के आधार पर प्रतीक्षा सूची में से अभ्यर्थियों को मोबिलाइजर हेतु चयन की कार्यवाही ग्राम पंचायत स्तर से की जावेगी।
2. प्रत्येक माह के अंत में अपने किए गए कार्यों का ब्योरा का भी अनुमोदन संबन्धित ग्राम पंचायत समिति से करवाएँगे साथ ही समय-समय पर आयोजित होने वाले ग्राम सभा की बैठकों में भी अपने द्वारा किए गए कार्यों का अनुमोदन करवायेंगे।
3. PESA क्षेत्र के अंतर्गत आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में PESA अनुसूचित अधिनियम के प्रावधानों के तहत ग्राम सभा आयोजन में सहयोग करेगा
4. PESA क्षेत्र अंतर्गत आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में ग्रामीण जनता की सहभागिता कोरम के आधार पर सुनिश्चित करेगा
5. ग्राम सभा का आयोजन शांति एवं सोहाद्रपूर्ण वातावरण में करने हेतु समन्वय करेंगे

6. ग्राम सभा की स्थायी समितियों की बैठकों के नियमितीकरण हेतु बैठक सूचना देंगे/मुनादी करवाएँगे, बैठक स्थान की व्यवस्था करेंगे एवं दस्तावेजीकरण करेंगे।
7. GPDP निर्माण में महिला समूहों द्वारा बनाई गयी "गरीबी उन्मूलन कार्य योजना" के ग्राम सभा में प्रस्तुतीकरण एवं अनुमोदन कराने में सहयोग करेंगे।
8. ग्राम पंचायत में बाल हितैषी गतिविधियों के संचालन में समन्वय करेंगे।
9. मिशन अंत्योदय सर्वे एवं अन्य पंचायती राज संबंधी सर्वे अंतर्गत किए जा रहे कार्यों में सहयोग करेंगे।
10. ग्राम सभा का सम्मेलन आहूत किए जाने की सूचना ग्रामवासियों को यथासमय देंगे।
11. PESA अनुसूचित क्षेत्र की गतिविधियों के क्रियान्वयन से सहयोग करेंगे।
12. ग्राम पंचायत अंतर्गत जनभागीदारी से बनाई जाने वाली "ग्राम पंचायत विकास योजना" (GPDP) की कार्य योजना के निर्माण, PRA एवं base line सर्वे में सहयोग करेंगे।
13. ग्राम पंचायत अंतर्गत आयोजित होने वाले सभी शिविरों, प्रशिक्षणों एवं समस्त प्रकार की प्रचार प्रसार गतिविधियों में प्रेरक की भूमिका निभाएँगे।
14. ग्राम पंचायत अंतर्गत संचालित समस्त अभियानों जैसे ग्राम पंचायत विकास योजना जन अभियान, स्वच्छ भारत मिशन के समग्र स्वच्छता के कार्य एवं शौचालय निर्माण अस्ति हेतु वातावरण निर्माण कार्य में प्रेरक की भूमिका निभाएँगे।
15. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित हो रहे आवासों की गुणवत्ता एवं निरख-परख के कार्य करेंगे।
16. ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा के द्वारा समय-समय पर सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करेंगे।
17. जिला एवं जनपद पंचायत से प्राप्त आदेश/निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे।
18. पेसा ग्राम सभा मोबलाइजर को प्रोत्साहन राशि का भुगतान प्रतिमाह उनके KYC बैंक खाते में ग्राम पंचायत द्वारा किया जावेगा।

दिनांक

स्थान.....

सरपंच/सचिव के हस्ताक्षर व नाम/पदनाम एवं मुद्रा

ग्राम पंचायत

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला/जनपद पंचायत _____ की ओर सूचनार्थ।
2. श्री _____ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु प्रेषित।

सरपंच/सचिव के हस्ताक्षर व नाम/पदनाम एवं मुद्रा

ग्राम पंचायत